पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध अधिनियम, 1890

(1890 का अधिनियम संख्यांक 20)

[16 अक्तूबर, 1890]

पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध के अधिक अच्छे प्रशासन के लिए उपबंध करने और उन प्रान्तों और अवध में प्रवृत्त कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने के लिए अधिनियम

पश्चिमोत्तर प्रान्तों के लैफ्टिनेन्ट गवर्नर और अवध के मुख्य आयुक्त द्वारा क्रमश: प्रशासित राज्यक्षेत्रों के अधिक अच्छे प्रशासन के लिए उपबन्ध करना तथा उस प्रयोजनार्थ उक्त प्रान्तों में और अवध में प्रवृत्त कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध अधिनियम, 1890 है ।

भाग 1

पश्चिमोत्तर प्रान्त

2. भाग 1 का प्रारंभ—यह भाग उस दिन[1] को प्रवृत्त होगा जिसे उक्त लैफ्टिनेन्ट गवर्नर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे ।

3. और 4.—[1873 के अधिनियम 19 का संशोधन ।]—संयुक्त प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का संयुक्त प्रांत अधिनियम सं० 3) द्वारा निरसन ।

और यह अवधारित किया गया है कि झांसी, जालौन और ललितपुर जिलों को समाविष्ट करते हुए झांसी खण्ड को इलाहाबाद खण्ड में मिला लिया जाए;

और उक्त झांसी खण्ड शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14)[2] के अधीन एक अनुसूचित जिला है;

और यह समीचीन है कि उसी खण्ड में प्रवृत्त विधि, ऐसे मिला लेने पर वही हो जो इलाहाबाद खण्ड में समाविष्ट अस्थायी रूप से बन्दोबस्त हुए जिलों में प्रवृत्त विधि है, और यह कि उक्त खण्ड एक अनुसूचित जिला न रह जाए;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

5. इलाहाबाद खण्ड के कतिपय जिलों में प्रवृत्त विधियों का झांसी को लागू होना—(1) वे समस्त अधिनियमितियां जो उस दिन[3] जब कि यह भाग प्रवृत्त होता है, उक्त अस्थायी रूप से बन्दोबस्त हुए जिलों में प्रवृत्त होंगी और उक्त झांसी खण्ड में प्रवृत्त नहीं होंगी वे उक्त दिन से उस खण्ड में प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

(2) झांसी इन्कम्बर्ड प्रापर्टी ऐक्ट, 1882 (1882 का 16)[4] और झांसी एण्ड मुरार ऐक्ट, 1886 (1886 का 17)[5] को छोड़कर वे समस्त अधिनियमितियां जिनके अन्तर्गत झांसी कोर्ट्स ऐक्ट, 1867 (1867 का 18) और 1867 का अधिनियम सं० 27 भी है जो उक्त दिन[3] उक्त खण्ड में प्रवृत्त होंगी और उक्त अस्थायी रूप से बन्दोबस्त हुए जिलों में प्रवृत्त नहीं होंगी वे उक्त दिन[3] से उक्त खण्ड में निरसित समझी जाएंगी ।

6. [1882 के अधिनियम सं० 16 का संशोधन ।]—बुन्देलखण्ड विल्लंगमित संपदा अधिनियम, 1903 (1903 का संयुक्त प्रांत अधिनियम सं० 16) द्वारा निरसित ।

7. 1886 के अधिनियम सं० 17 द्वारा उपायुक्त और आयुक्त को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन—झांसी एण्ड मुरार ऐक्ट, 1886[5] (1886 का 17) द्वारा उपायुक्त और आयुक्त को समनुदेशित कृत्य क्रमश: जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा निर्वहन किए जाएंगे, और झांसी जिले में आयुक्त के अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति निर्देश बंगाल, नार्थ-वेस्टर्न प्रोविसेन्स एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 (1887 का 12)[6] के अधीन उस जिले में स्थापित किए गए सिविल न्यायालयों को लागू हुए समझे जाएंगे ।

---

[1] 1 अप्रैल, 1891, देखिए पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध राजपत्र, 1891, भाग 1, पृष्ठ 130 ।

[2] अब भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित हो गया है ।

[3] अर्थात्, 1 अप्रैल, 1891 ।

[4] अब बुन्देलखण्ड विल्लंगमित संपदा अधिनियम, 1903 (1903 का संयुक्त प्रांत अधिनियम 1) द्वारा निरसित हो गया है ।

[5] 1953 के अधिनियम 42 द्वारा निरसित ।

[6] 1911 के अधिनियम सं० 16 द्वारा "पश्चिमोत्तर प्रांतों" के स्थान पर "आगरा" प्रतिस्थापित ।

8. झांसी खण्ड का अनुसूचित जिला न रह जाना—(1) उक्त दिन[1] से उक्त खण्ड अनुसूचित जिला [2]*** नहीं रह जाएगा ।

9. 1887 के अधिनियम सं० 12 का झांसी को लागू होना और लम्बित मामलों का निपटारा—[3]***

(2) उक्त दिन[1] को उक्त खण्ड के किसी सिविल न्यायालय में लम्बित समस्त मामलों या कार्यवाहियों का निपटारा निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

(क) यदि तहसीलदार के या द्वितीय श्रेणी के सहायक आयुक्त के न्यायालय में लम्बित हैं तो मुंसिफ द्वारा;

(ख) यदि प्रथम श्रेणी के सहायक आयुक्त के न्यायालय में लंबित हैं तो अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा;

(ग) यदि उपायुक्त के न्यायालय में लम्बित हैं तो जिला न्यायाधीश द्वारा;

(घ) यदि आयुक्त के न्यायालय में लम्बित हैं तो जिला न्यायाधीश द्वारा जब तक कि लम्बित मामला उपायुक्त के आदेश या डिक्री से अपील नहीं है जिस दिशा में अपील का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

(3) बंगाल, नार्थ-वेस्टर्न प्रोविसेन्स एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स, ऐक्ट, 1887 (1887 का 12) की धाराएं 20 से 22 (दोनों सहित), के प्रयोजनों के लिए उक्त खण्ड में सिविल न्यायालयों द्वारा पारित समस्त डिक्रियां और आदेश जिनके विरुद्ध उक्त दिन[1] से पहले अपील नहीं की गई है—

(क) तहसीलदार या द्वितीय श्रेणी के सहायक आयुक्त के न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं तो मुंसिफ द्वारा पारित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) यदि प्रथम श्रेणी के सहायक आयुक्त के न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं तो अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए समझे जाएंगे;

(ग) यदि उपायुक्त या आयुक्त के न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं तो जिला न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए समझे जाएंगे ।

(4) जहां इस अधिनियम के पारित होने के कारण किसी सिविल न्यायालय की किसी मामले के बारे में अधिकारिता नहीं रह जाती है तो उस मामले के संबंध में कोई कार्यवाही जो, यदि उस न्यायालय की अधिकारिता समाप्त नहीं हुई होती तो उसमें की गई होती, उस न्यायालय में की जा सकेगी जिसको कि पूर्वतर न्यायालय का कार्य उपधारा (2) द्वारा अन्तरित किया गया है; किन्तु यह उपधारा उन मामलों को लागू नहीं होगी जिनके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, (1882 का 14)[4] की धारा 623 या धारा 649 में उपबन्ध किया गया है ।

(5) उपधारा (3) में उल्लिखत डिक्रियों और आदेशों से अपीलों की दशा में परिसीमा की अवधि झांसी कोर्ट्स ऐक्ट, 1867 (1867 का 18)[5] की धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था ।

भाग 2

अवध

10. भाग 2 का प्रारंभ—यह भाग उस दिन[6] को प्रवृत्त होगा जिसे अवध का मुख्य आयुक्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे ।

11. पश्चिमोत्तर प्रान्त के राजस्व बोर्ड का अवध के राजस्व बोर्ड और मुख्य राजस्व प्राधिकारी होना—उस दिन से जिस दिन यह भाग प्रवृत्त होता है नार्थ-वस्टर्न प्रोविन्सेस रेवेन्यू ऐक्ट, 1873 (1873 का 19)[7] के अधीन गठित राजस्व बोर्ड अवध के मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों के लिए भी राजस्व बोर्ड समझा जाएगा और उसे पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध के राजस्व बोर्ड के नाम से जाना जाएगा और अभिहित किया जाएगा ।

(2) इस भाग द्वारा यथासंशोधित किसी अधिनियमिति में राजस्व बोर्ड के प्रति किए गए समस्त निर्देश, जहां तक वे अवध से संबंधित हैं, उक्त बोर्ड के प्रति निर्देश समझे जांएगे ।

(3) अवध के मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में जिसमें कि पद "मुख्य राजस्व प्राधिकारी" या "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी" प्रयुक्त हुआ है उस पद का अर्थ जहां तक कि उक्त राज्यक्षेत्रों से संबंधित है उक्त

---

[1] अर्थात्, 1 अप्रैल, 1891 ।

[2] 1938 के अधिनियम 1 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा उपधारा (1) का दूसरा खंड और उपधारा (2) निरसित ।

[3] 1938 के अधिनियम 1 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा उपधारा (1) निरसित ।

[4] अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) देखिए ।

[5] इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा 1867 का अधिनियम सं० 18 निरसित ।

[6] 1 जनवरी, 1891, देखिए पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध राजपत्र, 1890, भाग 1, पृष्ठ 661 ।

[7] अब संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 3) की धारा 3 द्वारा निरसित हो गया है किन्तु 1873 के अधिनियम सं० 19 के अधीन की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करती, देखिए धारा 3 ।

दिन[1] के पश्चात् पारित किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध[2] के राजस्व बोर्ड को निर्दिष्ट करते हुए लगाया जाएगा ।

[3]**12 से 53.** [निरसित ।]

54. लम्बित अपीलें—जब यह भाग प्रवृत्त[4] होता है उस समय उसी अधिनियम के अधीन पारित की गई डिक्रियों या आदेशों से लम्बित समस्त अपीलें इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था :

परन्तु यह कि [5][राज्य सरकार] उन मामलों में, जिनमें कि इस भाग द्वारा यथा संशोधित अवध रेंट ऐक्ट, 1886 (1886 का 22) के अधीन अपील जिला न्यायाधीश को होती है, उस समय आयुक्त या कलक्टर के समक्ष लम्बित किन्हीं अपीलों को जिला न्यायाधीशों को अन्तरित कर सकेगी ।

[6]**55 से 61. [निरसित ।]**

भाग 3

पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध

62. भाग 3 का प्रारंभ—यह भाग उस दिन[1] को प्रवृत्त होगा जिसे पश्चिमोत्तर प्रान्तों को लैफ्टिनेंट गवर्नर और अवध का मुख्य आयुक्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें ।

63. स्थान जहां बोर्ड की बैठक होगी—(1) [7]*** अवध रेंट ऐक्ट, 1886 (1886 का 22) की धारा 128 में किसी बात के होते हुए भी पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध का राजस्व बोर्ड उन अधिनियमों के अधीन मामलों को निपटाने के लिए, पश्चिमोत्तर प्रान्त या अवध में ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठक करेगा जो [8][राज्य सरकार] राजपत्र[9] में अधिसूचना द्वारा उन अधिनियमों में से किसी के अधीन मामलों के बारे में नियत करें ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न मामलों के निपटाने के लिए, उक्त बोर्ड, [8][राज्य सरकार] के आदेशों के अधीन रहते हुए पश्चिमोत्तर प्रान्त या अवध में किसी स्थान पर बैठक कर सकेगा, जिसे बोर्ड ठीक समझे ।

64. [1873 के अधिनियम सं० 19 की धारा 4 का संशोधन ।]—संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3 संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 3) द्वारा निरसित ।

———

[1] 1 जनवरी, 1891, देखिए पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध राजपत्र, 1890, भाग 1, पृष्ठ 661 ।

[2] अब उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड ।

[3] ये धाराएं निम्नलिखित कतिपय केन्द्रीय अधिनियमों को संशोधित करती हैं :—
धारा 12 से धारा 34—1876 का अधिनियम सं० 17
धारा 35—1876 का अधिनियम सं० 18 और 1878 का अधिनियम सं० 14
धारा 36 और धारा 37—1878 का अधिनियम सं० 4
धारा 38—1878 का अधिनियम सं० 3
धारा 39 से धारा 42—1879 का अधिनियम सं० 13
धारा 43—1881 का अधिनियम सं० 22
धारा 44 से 53—1886 का अधिनियम सं० 22
वे निम्नलिखित रूप में निरसित की गई हैं :—
1901 के अधिनियम सं० 3 द्वारा धारा 12 से धारा 16, धारा 18 से धारा 27, धारा 32 से धारा 34;
1891 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 12 द्वारा धारा 17, धारा 35, धारा 48 और धारा 50;
1899 के संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 3 द्वारा धारा 28 से धारा 31;
1894 के सुयक्त प्रान्त अधिनियम सं० 5 द्वारा धारा 36 और धारा 37;
1925 के संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 4 द्वारा धारा 39 से धारा 42;
1938 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 1 द्वारा धारा 38, धारा 44 से धारा 47;
धारा 49 और धारा 51 से धारा 53; और 1891 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 12 द्वारा धारा 43 ।

[4] अर्थात्, 1 जनवरी, 1891 ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "मुख्य आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1886 के अधिनियम सं० 22 द्वारा धारा 55 से धारा 60 संशोधित और 1881 के अधिनियम सं० 9 द्वारा धारा 61 संशोधित । 1938 के अधिनियम सं० 1 द्वारा धारा 55 और धारा 57 से धारा 61 तथा 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा धारा 56 निरसित ।

[7] धारा 63 में, जहां तक वह 1881 के अधिनियम सं० 12 से संबंधित है, "पश्चिमोत्तर प्रान्त भाटक अधिनियम, 1881 की धारा 152 में या" शब्द और अंक आगरा अभिधृति अधिनियम, 1901 (1901 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम 2) द्वारा निरसित ।

[8] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "उक्त राज्यपाल और मुख्य आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] यह घोषणा करने वाली अधिसूचना के लिए कि राजस्व बोर्ड, संयुक्त प्रान्त के किसी जिले के मुख्यालय में अधिविष्ट हो सकेगा, देखिए संयुक्त प्रांत स्थानीय नियम और आदेश ।0